

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2156

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एबी-पीएमजेएवाई का प्रभावी कार्यान्वयन

†2156. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा पूरे देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (ख) योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक इस योजना में नामांकित लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा गुजरात राज्य में अब तक निपटाए गए कुल दावों की संख्या कितनी है;
- (ग) विशेषकर देश के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
- (घ) क्या एबी-पीएमजेएवाई के तहत पूरे देश में सूचीबद्ध अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की सूची का विस्तार करने की कोई योजना है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता और रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संपूर्ण डिजिटल प्रणाली स्थापित की गई है। कई महत्वपूर्ण पहलें लागू की गई हैं, जैसे कि संशोधित लाभार्थी पहचान प्रणाली (बीआईएस 2.0), जो अनावश्यक बिचौलियों को समाप्त करके स्व-सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है। आयुष्मान मोबाइल एप्लिकेशन फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग तत्काल लाभार्थी सत्यापन की पुष्टि और कार्ड निर्माण को सक्षम बनाता है। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस 2.0) अस्पतालों के लिए कुशल दावा निपटान सुनिश्चित करती है। उपयोगकर्ता प्रबंधन पोर्टल पीएमजेएवाई एप्लिकेशनों तक निर्बाध पहुंच के लिए एक एकीकृत लॉगिन प्रणाली प्रदान करता है। अस्पतालों के सुचारू रूप से जुड़ने के लिए अस्पताल सहभागिता मॉड्यूल (एचईएम 2.0) का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है।

सभी संव्यवहारों की सक्रिय निगरानी के लिए एआई/एमएल आधारित विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) में स्थापित राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (एनएएफयू) धोखाधड़ी के मामलों की जांच और कार्रवाई के लिए राज्य धोखाधड़ी-रोधी इकाइयों (एसएएफयू) के साथ मिलकर काम करती है।

एबी-पीएमजेएवाई के रियल टाइम कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इस डैशबोर्ड का उपयोग जारी किए गए कार्डों की संख्या, अस्पताल में भर्ती, अस्पताल पैनल में शामिल होने और दावा निपटान जैसे मापदंडों के आधार पर योजना के निष्पादन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

(ख): दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत गुजरात में 42.31 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए और लगभग 51.82 लाख दावों का निपटान किया गया।

(ग): ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में एबी-पीएमजेएवाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक मीडिया और जनसंपर्क कार्यनीति अपनाई गई है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटक, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियान, जनसंचार, लाभार्थियों के अनुभव साझा करना आदि जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, जैसे कि आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) का एक व्यापक नेटवर्क भी स्थापित किया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी किसी भी सहायता/पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं या 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम चलाएं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, लाभार्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। प्रत्येक स्तर पर, शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस) या 24*7 हेल्पलाइन नंबर (14555) सहित विभिन्न माध्यमों से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के तहत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): अस्पतालों का पैनल में शामिल होना एक सतत प्रक्रिया है और यह पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल होने के दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के अनुसार की जाती है। वर्तमान में इस योजना के तहत 32,403 से अधिक अस्पताल पैनलबद्ध हैं, जिनमें से 15,378 निजी अस्पताल हैं। अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, अस्पतालों की समस्याओं, जिनमें पैनल में शामिल होने से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं, का तुरंत समाधान करने के लिए एक अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।
